

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो  
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,  
'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास,  
नीमच (म.प्र.) 458441



Government of India  
Ministry of Finance, Department of Revenue  
Central Bureau of Narcotics  
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,  
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,  
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030  
F.No. I(14)/Adm/ND/2019-

FAX- 07423-220077/220099

e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

Dated : 07.03.2019

### :: निविदा सूचना ::

इस विभाग के अफीम तौल वर्ष 2018-19 के लिये एन.डी. फार्म/रजिस्टर की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रिंटर्स/आफसेट प्रिंटर्स से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी :

क्रं	एन.डी. नंबर	एन.डी फार्म का नाम	मात्रा	अभियुक्ति	कागज की मोटाई (जी.एस.एम. में)
1	2	केश बुक	18	50 शीट कपडा दोनों तरफ प्रिंट एवं ग्रीन लेजर पेपर/ कार्यालय के नमूने के अनुसार	57 जी.एस.एम.
2	8	वसूली बुक	15	100 शीट का पैड एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार डूप्लीकेट नम्बर सहित	57 जी.एस.एम.
3	-	लाईसेंस फीस बुक	10	100 शीट का पैड एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार डूप्लीकेट नम्बर सहित	57 जी.एस.एम.
4	13	पुलिस गार्ड रजिस्टर	12	एक तरफ प्रिन्ट 50 शीट कपडा बाईडिंग	57 जी.एस.एम.
5	20	सैम्पल रजिस्टर	25	50 शीट कपडा बाईडिंग एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
6	30	बर्तन बही/लेब रजिस्टर	25	75 शीट कपडा बाईडिंग दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
7	31	खुरचन रजिस्टर	15	50 शीट कपडा बाईडिंग दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
8	33	सम्मान फार्म	2300	एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
9	34	वर्गीकरण फार्म	4200	दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
10	35	अफीम तौल रजिस्टर	335	75 शीट कपडा बाईडिंग दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
11	36	लम्बरदार गौसवारा	20	50 शीट कपडा बाईडिंग दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
12	38	चैक सेमेंट रजिस्टर	70	75 शीट कपडा बाईडिंग दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
13	39	जार टिकिट	41000	एक तरफ प्रिन्ट पोस्टकार्ड साईज कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
14	45	चालान रजिस्टर	28	75 शीट कपडा बाईडिंग दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
15	46	टेस्ट स्केल रजिस्टर	47	75 शीट कपडा बाईडिंग दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
16	47	सस्पेक्टेड/आसामीवार रजिस्टर	30	50 शीट दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
17	48	घोई खुरचन चालान	50	दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार पिन बाईडिंग	70 जी.एस.एम.
18	50	अच्छी अफीम चालान	1500	दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार पिन बाईडिंग	70 जी.एस.एम.
19	51	सस्पेक्टेड/आसामीवार चालान	310	दोनों तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार पिन बाईडिंग	70 जी.एस.एम.
20	54	अफीम स्टोक रजिस्टर	20	एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
21	57	इनवाइस रजिस्टर	20	एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
22	58	अफीम तौल मुगतान रजिस्टर	30	50 शीट कपडा बाईडिंग एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.
23	21	प्रोग्राम फार्म	25	एक तरफ प्रिन्ट कार्यालय के नमूने अनुसार	57 जी.एस.एम.

### नियम व शर्तें

1. उक्त सामग्री ओरियेन्ट पेपर पर ही छपवाये जानी है। क्रम संख्या 18, 19 एवं 20 हेतु ओरियेन्ट पेपर 70 GSM एवं शेष सभी सामग्री के लिए ओरियेन्ट पेपर 57 GSM का होना आवश्यक है।
2. उक्त फार्म रजिस्टर की छपाई हेतु आफसेट/प्रिन्टर्स से सीलबंद निविदा मय कागज के नमूने व हस्ताक्षर सहित दिनांक 15.03.2019 को 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जिस पर "कोटेशन फॉर प्रिंटिंग ऑफ एन.डी. फार्म" लिखा होना आवश्यक है जिसे दिनांक 15.03.2019 को 12.00 बजे इस कार्यालय में निविदाकर्ता एवं कय समिति के अधिकारियों के समक्ष खोली जायेगी।

निरन्तर.....2.....


3. निविदा श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के नाम प्रेषित करें। निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम देय हो, निविदा के साथ जमा कराना होगा। बगैर धरोहर राशि के निविदायें मान्य नहीं होंगी।
4. नियत दिनांक व समय पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. छपाई जाने वाली सामग्री का नमूना कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में प्रशासन शाखा में देखा जा सकता है।
6. उपरोक्त एन.डी.फार्म एवं रजिस्ट्रों की छपाई के उपयोग में लाये जाने वाले ओरियंट पेपर, सूची में दर्शाये अनुसार जी.एस.एम. का होना चाहिए।
7. फार्म की क्वालिटी, कागज व छपाई उत्तम रखी जाये।
8. एन.डी.फार्म की छपाई से पूर्व उपरोक्त दर्शाये गये प्रत्येक फार्म एवं रजिस्टर के प्रारूप के नमूने अनुसार प्रुफ इस कार्यालय में आकर प्रशासन शाखा प्रभारी से चेक कराने के पश्चात ही छपाई कार्य शुरू करें।
9. सभी फार्म एवं रजिस्ट्रों की छपाई नमूने अनुसार बिना गलती के स्वच्छ, साफ, सुंदर होना चाहिए।
10. सभी रजिस्ट्रों की जिल्द कपडे की (दोनों तरफ) होकर मजबूत होना चाहिए।
11. निविदा सूचना में दर्शाई गई समस्त सामग्री छपाई कर प्रदाय आदेश मिलने के पश्चात 07 दिन के अंदर आवश्यक एवं अनिवार्य रूप से आपूर्ति करना होगी।
12. उपरोक्त शर्तों के अनुसार समस्त कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एवं प्रदाय की जाने वाली सामग्री की क्वालिटी में अंतर पाये जाने पर अथवा सामग्री की मात्रा में अंतर पाये जाने पर संपूर्ण धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं उपरोक्त सामग्री के बिल में दर्शाई गई राशि के 25 प्रतिशत भाग की कटौती की जा सकती है।
13. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
14. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।



उप नारकोटिक्स आयुक्त,  
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट [www.cbn.nic.in](http://www.cbn.nic.in) पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरौठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।

  
अधीक्षक (कार्य),  
नीमच (म.प्र.)